



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन'

निकट आई.एस.बी.टी., पो0ऑ0-माजरा, देहरादून-248171

PH. 0135-2641115 FAX- 2641314 Website www.uerc.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

सार्वजनिक सूचना

1. आयोग द्वारा प्रारूप उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2016 [Draft Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Intra-State Open Access) (First Amendment) Regulations, 2016] बनाये गये हैं। प्रारूप विनियम एवं व्याख्यात्मक ज्ञापन (Explanatory Memorandum) आयोग की वेबसाईट www.uerc.gov.in पर अपलोड किये गये हैं।
2. उक्त प्रारूप विनियम पर सभी स्टैकहोल्डर्स अपने सुझाव/आपत्तियां/प्रतिवेदन, अधोहस्ताक्षरी को अधिकतम दिनांक 04.09.2016 तक लिखित रूप से डाक द्वारा अथवा ई-मेल या स्वतः उपस्थित होकर उपरोक्त पते पर आयोग के विचारार्थ प्रेषित कर सकते हैं।
3. निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त सुझावों/आपत्तियों/प्रतिवेदनों पर आदेश को अन्तिम रूप देते समय, आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

सचिव